छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

3 OCT 2023

क्रमांक एफ 3–26/2023/22–1,(पार्ट नस्ती) नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक /10/2023

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी (Chips),
तृतीय तल स्टेट, डाटा सेंटर बिल्डिंग,
नवीन सर्किट हाऊस के सामने,
सिविल लाईन्स, रायपुर
छत्तीसगढ़। पिनकोड–492001 ।

विषय :– ''लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण'' के सदस्य की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप अपलोड करने बाबत्।

––00––

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' के विरुद्ध अपील हेतु राज्य स्तर पर गठित **''त्रि–सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण''** में सिविल सेवा (Civil Service) क्षेत्र के अनुभव के आधार पर 01 सदस्य की नियुक्ति की जानी है, इस हेतु **विज्ञापन सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप** संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया छत्तीसगढ़ शासन की अधिकृत वेबसाईट www.cgstate.gov.in के "Notice Board" में संलग्न **विज्ञापन सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप** को दिनांक 05.10.2023 से दिनांक 06.11.2023 तक अपलोड करवाने का कष्ट करें, जिसका लिंक **''विज्ञापन प्रारूप एवं आवेदन पत्र–** ''लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण'' के सदस्य पद के लिये आवेदन पत्र के नाम से प्रदर्शित हों।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

3/10/23

(रामलाल खैरवार)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ भाासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विज्ञापन प्रारूप

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' के विरुद्ध अपील हेतु राज्य स्तर पर गठित **"त्रि–सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण"** में सिविल सेवा (Civil Service) क्षेत्र के अनुभव के आधार पर 01 सदस्य की नियुक्ति हेतु राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

- **कुल रिक्त पदों की संख्या :–** 01
- **पद का प्रकार/अनुभव का क्षेत्र :–** लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में सिविल सेवा (Civil Service) क्षेत्र से 01 सदस्य की नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु सिविल सेवा क्षेत्र में कार्य करने का **न्यूनतम 30 वर्ष का अनुभव** होना आवश्यक है।
- **अर्हताएँ :–**

1) आवेदन के समय आवेदक की उम्र **66–वर्ष** से कम हो।
2) सिविल सेवा क्षेत्र के सदस्य पद हेतु सिविल सेवा क्षेत्र में न्यूनतम **30**–वर्षों तक कार्य करने का अनुभव हो।
3) आवेदक अपने अनुभव के क्षेत्र में प्रख्यात एवं सत्यनिष्ठ तथा निरपराध हो।
4) आवेदक किसी राजनैतिक दल अथवा वर्तमान में प्रतिबंधित किसी संगठन/संस्था/समिति का सदस्य न हो तथा आवेदक के ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण न चल रहा हो।
5) आवेदक शारीरिक रुप से सक्रिय एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु सक्षम हो।
6) जिस क्षेत्र के सदस्य पद हेतु आवेदन किया जावे, उसी क्षेत्र में आवेदक का अनुभव 30 वर्ष होना चाहिये। एक से अधिक क्षेत्रों के अनुभव को मिलाकर 30 वर्ष का अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा।

- **अनर्हताएँ–**

1) सिविल सेवा क्षेत्र में **30**–वर्षों से कम का कार्यानुभव होने पर।
2) किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी सिद्ध हुआ हो।
3) किसी अन्य ऐसे व्यवसाय/आजीविका से जुड़ा/जुडी हो, जिससे आवेदित पद के कार्यों के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे सके।
4) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय/विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली, के परिपत्र क्रमांक–M-11015/112022-RE-III (380157), दिनांक–20 मार्च, 2023 द्वारा जारी Revised guidelines on Ombudspersons and Appellate authority -reg में उल्लेखित निर्धारित पात्रता एवं अनुभव शर्तों को पूरा नहीं करता/करती हो।

क्रमशः.....

5) लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में सदस्य के रूप में एक बार कार्य कर चुके/चुकी आवेदक पुनः नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे।

6) वह ऐसे अपराध का दोषी पाया गया, जो नैतिक अधमता (पतन) से जुड़ा हो।

7) किसी राजनैतिक दल अथवा प्रतिबंधित संगठन/संस्था/समिति का सदस्य हो।

8) शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम हो।

➢ **नियम एवं शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारी –**

1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल के रुप में जिन्होंने कम से कम **01**–वर्ष सेवा दी हो, उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।

2) राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र आवेदको को संबंधित क्षेत्र में अनुभव के वर्षों, सामाजिक क्षेत्र से जुडाव एवं लोकपाल पद पर किये गये कार्यों से संबंधित अनुभव के वर्षों के आधार पर अंक प्रदाय किया जावेगा।

3) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण **राज्य स्तरीय चयन समिति** द्वारा किया जावेगा।

4) छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित **"अवार्ड"** से व्यथित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु **"त्रि–सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण"** का गठन किया गया है। प्राधिकरण के सदस्यों का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है।

5) आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में ही जानकारी देनी होगी। आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज, आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित (Self Attested) होना चाहिये।

6) आवेदक को अपना कार्यानुभव, आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित करना होगा।

7) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8) अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति प्रथम बार 02–वर्ष अथवा 68–वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो की समयावधि के लिये की जावेगी। कार्यप्रदर्शन एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि एकबार में 01–वर्ष के लिये, अधिकतम 02–बार तक अथवा 68–वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी सदस्य को सेवावृद्धि दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का अधिकार विभाग/शासन को होगा। किसी भी अभ्यर्थी को पुनर्नियुक्ति नहीं दी जावेगी।

क्रमशः.....

9) प्राधिकरण के सदस्यों को फीस के रूप में देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रूपये–50000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) के अध्यधीन प्रति बैठक (Per Sitting) रूपये 2500.00 (दो हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की दर से देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

10) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लोकपाल द्वारा पारित 'अवार्ड' से व्यथित पक्ष को अपील का अवसर प्रदान करना।

11) प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का निपटारा 02–माह के भीतर करना।

➢ **अंतिम तिथि :–**

1) आवेदन दिनांक– 06.11.2023 की संध्या–5:00 बजे तक सिर्फ स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें।

2) निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

3) आवेदन पत्र में तथा आवेदन प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें कि : – **"त्रि–सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण सिविल सेवा (Civil Service) क्षेत्र के सदस्य पद हेतु आवेदन"** किया जा रहा है।

4) आवेदन अपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेज संलग्न न होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

➢ **पता :–** आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित किया जावे :–

प्रति, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, विकास आयुक्त कार्यालय, तृतीय तल, कक्ष क्रमांक 19, विकास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आवेदन पत्र प्रारूप

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गठित त्रि–सदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र"

आवेदित पद का नामः– .....

(सदस्य–सिविल सेवा क्षेत्र , पद का उल्लेख करें। प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर पद एवं अनुभव का क्षेत्र का अनिवार्यतः उल्लेख करें।)

1) आवेदक का नामः– .....

2) पिता/पति का नामः– .....

3) जन्मतिथि :– (अ) अंको में .....

(ब) शब्दों में .....

स्व–हस्ताक्षरित पासपोर्ट–साइज फोटो चस्पा करें।

4) दिनांक 01/10/2023 को आयु :–.....वर्ष.....माह.....दिन

(आयु की पुष्टि हेतु हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल के अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)

5) लिंग (पुरूष/महिला):– .....

6) जातिः– .....

7) वर्गः– .....

(सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का उल्लेख करें)

8) वर्तमान पताः– .....

.....

.....

9) स्थायी पताः– .....

.....

.....

10) फोन/मोबाईल नम्बर :– ..... (एस.टी.डी. कोड सहित)

11) ई–मेल एड्रेसः– .....

12) शैक्षणिक योग्यता :– (कृपया समस्त दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी

क्रमशः.....

13) क्या आप सिविल सेवा क्षेत्र में न्यूनतम 30 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव रखते हैं ? (हाँ/नहीं) :– .....

14) सिविल सेवा क्षेत्र में आपका कुल अनुभव कितने वर्ष का है ? .....

15) अनुभव का विस्तृत विवरण :– (निम्नांकित सारणी में वर्षवार क्रमानुसार विवरण देवें)

क्र	पद नाम	संस्था का नाम	सेवाअवधि वर्ष (.....से.....तक)	अनुभव अवधि (वर्ष/माह/दिन)	अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्ठता	संलग्न दस्तावेजों का नाम
1	2	3	4	5	6	7

(सिविल सेवा क्षेत्र में न्यूनतम 30–वर्षों का वर्षवार अनुभव संबंधी विवरण एवं तत्संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज, उत्कृष्ठ कार्य संबंधी क्रियाकलाप या कार्य के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन, कोई रिपोर्ट, छायाचित्र एवं अन्य ऐसा दस्तावेज, जो अनुभव से संबंधित हो, अनिवार्यतः संलग्न करें।)

16) क्या आप पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लोकपाल के पद पर कार्य कर चुके है ? (हाँ/नहीं) :– .....

यदि हाँ तो लोकपाल के अनुभव से संबंधित जानकारी निम्नांकित सारणी में देंवे :–

क्र	जिले का नाम जहाँ पर लोकपाल के पद पर कार्य किये है।	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के जिले	कुल कितने वर्षों तक कार्य किये	कार्यकाल की अवधि (कब से कब तक)	जारी आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4	5	6

(प्रमाण स्वरूप लोकपाल के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश की छायाप्रति संलग्न करें।)

17) मूल निवास का जिला :– ..... (निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

18) क्या किसी राजनैतिक दल या किसी प्रतिबंधित संगठन/संस्था/समिति के सदस्य है ? क्या आपके ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण चल रहा है। (हाँ/नहीं) .....

(नहीं की स्थिति में इस आशय का 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें)

क्रमशः.....

19) क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने हेतु सक्षम हैं ? (हां/नहीं) :– .....

(हाँ की स्थिति में किसी भी शासकीय चिकित्सक से स्वस्थता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

20) अन्य जानकारी, जो आपको सामाजिक रुप से ख्यातिलब्ध (Eminent) बनाती हो ।

.....

.....

(जानकारी की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)

13) संलग्न प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की सूची:–

.....

.....

घोषणा

आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। यदि किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी मैने विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को पढ़ा है। मुझे यह जानकारी है कि अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य का कार्य निःस्वार्थ जनसेवा की प्रकृति का है। इस पद पर मुझे महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित अधिनियम एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना है।

स्थान :– .....
दिनांक :–.....

आवेदक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम सहित)